न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–श्री रोहिताश्व सिंह तोमर आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या– 43/2024

बउनवान

अमृतलाल उम्र 36 वर्ष पुत्र श्री डालचन्द, जाति गुर्जर निवासी ग्राम गुदरावनी, तहसील मांगरोल जिला बारां, राज0

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये नायब तहसीलदार, मांगरोल जिला बारां (राज0)

(रेस्पोंडेंट)

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :– 1. श्री कमलदीप सिंह हाड़ा, अभिभाषक (अपीलांट)
2. पेरोकार सरकार (रेस्पोंडेंट)

निर्णय दिनांक– 27.11.2024

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, मांगरोल के आदेश दिनांक 15.03.2024 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय की पेश की है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम गुदरावनी तहसील मांगरोल की आराजी खसरा नम्बर 217 रकबा 0.40 है., किस्म–चारागाह भूमि पर अतिक्रमी मानकर 640/–रूपये अर्थदण्ड एवं एक माह के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपीलांट ने अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून व प्रक्रिया एवं विधि के संचायिका के सर्वमान्य सिद्धान्तों एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। प्रार्थी ने किसी प्रकार का कोई अतिचार एवं अतिक्रमण नहीं किया है। बताई गई भूमि पर किसी प्रकार कही कोई फसल की पैदावार अपीलांट ने नही की है। पटवारी हल्का द्वारा बिना मौके की जांच किये व स्वतंत्र गवाहान की साक्ष्य लिये मात्र पुरानी पत्रावली के आधार पर रिपोर्ट पेश की है जो विधि विरूद्ध एवं निरस्तनीय है। अपीलांट जाति से गुर्जर एवं पशुपालक है जो जानवरों को जंगल में चराकर अपने परिवार की गुजर बसर करता है। बताई गई आराजी पर अपीलांट का वर्तमान में किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई, जवाबदेहीं का अवसर नही दिया। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 15.03.2024 प्रकरण संख्या [illegible] निरस्त फरमावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजि[illegible] जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायाल[illegible] मूल अभिले[illegible] तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.12.17 10:54:01 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेहीं का अवसर नही दिया गया है। अपीलांट का उक्त भूमि पर कभी कोई कब्जा नही रहा है, और ना ही ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना मौके पर अतिक्रमण/कब्जे की जांच किये अपीलांट को सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 15.03.2024 निरस्त फरमावें।

दौराने बहस पेरोकार सरकार ने अपील में अंकित तथ्यों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त आराजी पर पूर्व में संवत 2079 फसल रबी में उक्त भूमि पर अतिचार करने पर मिसल नम्बर 104/2023 निर्णय दिनांक 17.03.2023 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने बहस उभयपक्ष की सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया तथा गुणावगुण के आधार पर पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी ख0नं0 217 रकबा 0.40 है0 किस्म चारागाह ग्राम गुदरावनी पर सम्वत् 2079 फसल रबी में भी अतिक्रमण करने पर मिसल नम्बर 104/2023 में पारित निर्णय दिनांक 17.03.2023 से बेदखल किया जाना पत्रावली में संलग्न बयान पटवारी हल्का से प्रमाणित है। इससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर हीं सजायाब करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, मांगरोल द्वारा प्रकरण संख्या 116/2024 में पारित आदेश दिनांक 15.03.2024 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27.11.2024 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर, बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज॰)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.12.17 10:54:01 IST
Reason: SelfAttested